न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू

पीठासीन अधिकारीः राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या–2018/00078 दायर दिनांक 20.07.2018

1. भंवरलाल पुत्र बुद्धाराम जाति जाट निवासी दल्लूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू (राज.)
2. केशराराम पुत्र बुद्धाराम जाति जाट निवासी दल्लूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू (राज.)
3. अर्जुनराम पुत्र बुद्धाराम जाति जाट निवासी दल्लूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू (राज.)
4. मोहनलाल पुत्र बुद्धाराम जाति जाट निवासी दल्लूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू (राज.)
5. मु. गुड्डी पुत्री बुद्धाराम पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी खोडाला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर (राज.)
6. मु. मीरां देवी पुत्री बुद्धाराम पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी खोडाला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर (राज.)

–अपीलांट्स–

बनाम्

1. भू–अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त चूरू
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सरदारशहर जरिये अधिशाषी अभियंता
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

–रेस्पोण्डेण्ट–

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश क्रमांक भू.अ./97/1277 दिनांक 02.02.1997 इं.सं. 184 दिनांक 16.06.1997 तहसीलदार सरदारशहर अंतर्गत धारा 75 एल. आर. एक्ट, 1956

उपस्थित :–

1. श्री रामनिवास सारण, श्री गोपाल कृष्ण सिहाग अधिवक्ता वास्ते अपीलांट्स

निर्णय दिनांक 25.07.2019

यह अपील श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरू के न्यायालय से सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.2018 को स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज (ऑनलाईन पोर्टल) की गई। इस अपील में अपीलांट्स के मुख्य कथन इस प्रकार हैः–

1. रोही मौजा दल्लूसर तहसील सरदारशहर में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 207/10 तादादी 27.01 बीघा बारानी दोयम भूमि अपीलांट्स की माता लिछमा देवी पत्नी बुद्धाराम कौम जाट निवासीनी दल्लूसर की तन्हा खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि रही है। लिछमा देवी के स्वर्गवास के बाद उपर्युक्त कृषि भूमि पर अपीलांट्स विरासतन खातेदारी अधिकारों के मुताबिक बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार, काबिज, काश्तकार हो चुके हैं।
2. जून 1994 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तहसील सरदारशहर में स्थित गांव रणसीसर से बणियासर वाया दल्लूसर सड़क निर्माण हेतु अपीलांट्स की पुश्तैनी खातेदारी, कब्जा, काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 207/10 तादादी 27.06 बीघा वाके रोही दल्लूसर में से 01.18 बीघा भूमि प्रत्यर्थी सं. 01 द्वारा अवाप्त की जाकर मुआवजा राशि 4712/–रु. अपीलांट्स की माता लिछमा देवी को दिया जाना तय किया गया। अपीलांट्स की माता की खातेदारी भूमि में से अवाप्त 01.18 बीघा भूमि अपीलाधीन नामान्तरणकरण सं. 184 दिनांक 16.06.1997 प्रत्यर्थी सं. 03 द्वारा प्रत्यर्थी

Scanned by CamScanner

सं. 02 के हक में तस्दीक किया जाकर 01.18 बीघा भूमि की खातेदारी प्रत्यर्थी सं. 02 के नाम दर्ज कर दी गई।

3. अपीलार्थीगण की माता के स्वर्गवास होने के पश्चात ख.नं. 207/10 मीन तादादी 25.08 बीघा से कायम हुए हाल ख.नं. 272/207/10 तादादी 25.08 बीघा का नामान्तरणकरण सं. 292 दिनांक 24.05.2009 को विरासतन अपीलांट्स के हक में तस्दीक होने पर अपीलांट्स पुश्तैनी कृषि भूमि ख.नं. 272/207/10 के बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित हो चुके हैं।

4. अपीलार्थीगण की माता मु. लिछमा देवी के नाम से दर्ज खातेदारी भूमि ख.नं. 207/10 तादादी 27.06 बीघा की दक्षिणी सीमा के चिपते ही कटानी रास्ता गुजरने से प्रत्यर्थीगण सं. 01 व 02 द्वारा रोही मौजा दल्लूसर में सड़क निर्माण की अवाप्त भूमि ख.नं. 207/10 मीन तादादी 01.18 बीघा में सड़क का निर्माण नहीं करवाया जाने से उपर्युक्त भूमि 01.18 बीघा सड़क के निर्माण के उपयोग में नहीं ली गई। इस कारण अपीलांट्स की माता को अवाप्त भूमि के मुआवजे का भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया गया। ना ही प्रत्यर्थी सं. 02 द्वारा अवाप्त भूमि का मौके पर कब्जा लिया गया।

5. प्रत्यर्थी सं. 01 द्वारा अवाप्त भूमि के अवार्ड के निर्णय दिनांक 10.01.94 की ग्राम सूची के क्र.सं. 08 मे खातेदार लिछमा देवी की अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि 4712/–रु. का भुगतान किया जाना था। किन्तु 23 वर्ष गुजरने के उपरान्त भी अपीलांट्स या उनकी माता को कोई भुगतान नहीं किया गया, ना ही कोई सड़क बनाई गई है। इसलिए अधिनिर्णित राशि अदा नहीं की जाने कारण अधिग्रहण कार्यवाही व्यपगत हो चुकी है। इसलिए प्रत्यर्थी सं. 01 द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में प्रत्यर्थी सं. 03 द्वारा प्रत्यर्थी सं. 02 के हक में तस्दीक नामान्तरणकरण सं. 184 दिनांक 16.06.1997 आदितः शून्य है।

6. अपीलार्थी की माता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्यर्थीगण को विधिक नोटिस दिनांक 14.04.2007 को प्रेषित करवाया। प्रत्यर्थी सं. 02 की ओर से सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड–II सरदारशहर द्वारा प्रत्यर्थी सं. 03 को पत्र क्रमांक NIL दिनांक NIL को प्रेषित कर निवेदन किया कि ख.नं. 207/10 में से जो भूमि अवाप्त की गई थी उसमें सड़क नहीं बनाकर कटानी रास्ते पर ही सड़क निर्माण किया गया। इसलिए रोही मौजा दल्लूसर में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 207/10 तादादी 27.06 बीघा में से अवाप्त 01.18 बीघा भूमि पुनः लिछमा देवी पत्नी बुद्धाराम जाति जाट निवासी दल्लूसर तहसील सरदारशहर के नाम दर्ज की जावे, ताकि कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके। उपर्युक्त कृषि भूमि पर ना तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई कब्जा है, ना ही वर्तमान में उक्त भूमि काम में आ रही है। भविष्य में भी किसी प्रकार के उपयोग में आने की संभावना नहीं है। किन्तु आज तक यह भूमि अपीलांट्स के नाम दर्ज नहीं की गई है। इसलिए नामान्तरणकरण सं. 184 दिनांक 16.06.1997 अपीलांट्स के पुश्तैनी खातेदारी अधिकारों के मुकाबले आदितः शून्य है।

अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी सं. 03 द्वारा आदितः शून्य पारित आदेश दिनांक 16.06.1997 को निरस्त कर पुनः खातेदारी दर्ज करवाने के लिये अनेकों बार निवेदन किया लेकिन प्रत्यर्थी सं. 03 ने

Scanned by CamScanner

अपीलांट्स के निवेदन पर कोई गौर नहीं किया। अपीलांट्स ने प्रत्यर्थी सं. 03 द्वारा आदितः शून्य पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.07.2018 को प्रमाणित प्रति हासिल की तो अपीलांट्स को समस्त तथ्यों का ईल्म हुआ। इसलिए अपील हाजा बिना किसी विलंब के प्रमाणित प्रति हासिल करने की तिथ से हर प्रकार से अंदर मियाद मामूलन न्यायशुल्क पर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर इं.सं. 184 निरस्त फरमाकर हाल ख.नं. 271/207/10 तादादी 01.18 बीघा की प्रत्यर्थी सं. 02 के नाम अंकित खातेदारी को राजस्व अभिलेखों में से विलोपित किया जाकर अपीलांट्स के नाम बहिस्सा बराबर बराबर खातेदारी दर्ज किये जाने को प्रत्यर्थी सं. 03 को आदेशित किया जावे।

रेस्पो0 को तलब किया गया। रेस्पो0 की ओर से कोई हाजिर नहीं आया। इसलिए अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा कि रोही मौजा दल्लूसर तहसील सरदारशहर में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 207/10 तादादी 27.01 बीघा लिछमा देवी पत्नी बुद्धाराम के नाम दर्ज थी। लिछमा देवी के स्वर्गवास के बाद उपर्युक्त कृषि भूमि पर अपीलांट्स विरासतन खातेदारी अधिकारों के मुताबिक दर्ज है। सन् 1994 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तहसील सरदारशहर में स्थित गांव रणसीसर से बणियासर वाया दल्लूसर सड़क निर्माण हेतु अपीलांट्स की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 207/10 में से 01.18 बीघा भूमि प्रत्यर्थी सं. 01 द्वारा अवाप्त की जाकर मुआवजा राशि 4712/–रु. अपीलांट्स की माता लिछमा देवी को दिया जाना तय कर 01.18 बीघा भूमि, नामान्तरणकरण सं. 184 दिनांक 16.06.1997 प्रत्यर्थी सं. 03 द्वारा प्रत्यर्थी सं. 02 के हक में तस्दीक किया गया। अवाप्त भूमि के मुआवजे का भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया गया, ना ही अवाप्त भूमि का मौके पर कब्जा लिया गया। 23 वर्ष गुजरने के उपरान्त भी अपीलांट्स या उनकी माता को कोई भुगतान नहीं किया गया, ना ही कोई सड़क बनाई गई है। कई बार विधिक नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी आज तक अवाप्त भूमि का कोई मुआवजा अपीलांट्स या उनकी माता को नहीं दिया गया। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति राज्य सरकार के समक्ष सार्वजनिक उद्देश्य हेतु अपने खातेदारी अधिकार समर्पित करता है और यदि राज्य सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाये और तय समय सीमा में उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि का उपयोग नहीं किया जाये तो सम्बन्धित कलक्टर भूमि की खातेदारी के समर्पण आदेश को निरस्त कर सकते है। इसलिए अपील–अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार सरदारशहर द्वारा तस्दीक नामान्तरणकरण को निरस्त कर अवाप्त भूमि 01.18 बीघा की खातेदारी अपीलांट्स के नाम दर्ज की जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के Notification No. F.9(15)Rev-6/05pt./30 Jaipur, Dated : 18-10-12 की फोटोप्रति पेश की।

अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भलीभांति अवलोकन किया गया। नामान्तरणकरण सं. 184 दिनांक 16.06.97 के अनुसार मु. लिछमा देवी पत्नी बुद्धाराम जाट की खातेदारी के खेत ख.नं. 207/10 तादादी

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

27.01 बीघा भूमि में से 01.18 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज की गई। अपीलांट्स की माता लिछमा देवी को अवाप्त भूमि के बदले 4712/–रु. मुआवजा राशि दी जानी थी। किन्तु मु. लिछमा देवी को किन्ही कारणवश सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया और ना ही सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उक्त भूमि का कोई उपयोग किया। मु. लिछमा देवी ने सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड–II सरदारशहर को अपने अधिवक्ता श्योलाराम गोदारा के माध्यम से धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रेषित किया था। इस नोटिस के संदर्भ में सहायक अभियंता ने तहसीलदार सरदारशहर को पत्र लिखकर अवगत करवाया कि उक्त भूमि ख.नं. 207/10 बीघा भूमि में से 01.18 बीघा भूमि पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई कब्जा नहीं है तथा उक्त भूमि वर्तमान में उपयोग में नहीं आ रही है, ना ही भविष्य में आने की कोई संभावना है। इसलिए प्रकार स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई कब्जा नहीं है तथा भविष्य में इस भूमि के किसी प्रकार के कोई उपयोग की भी कोई संभावना नहीं है।

इस संबंध में राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के Notification No. F.9(15)Rev-6/05pt./30 Jaipur, Dated : 18-10-12 अधिसूचित हुआ है कि Any person who has surrendered his tenancy rights, in favour of the State Government without any consideration or compensation for any public purpose and such land has not been utilized by the State Government for the said purpose within a reasonable time, may at any time apply to the collector for reverting the land for the original use. The collector, after considering the application, is satisfied the such land has not been utilized for the said purpose, may pass an order for reversion in favour of applicant and on such reversion the status of the land shall be the same as it was before he had surrendered his tenancy rights. इसलिए अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जानी न्यायोचित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज नामान्तरणकरण सं0 184 दिनांक 16.06.97 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार सरदारशहर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.07.30 12:04:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: